संख्या 481 /XXVII(9)/2013/मनो0कर–18/2013

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–9 देहरादूनः दिनांक 31 दिसम्बर, 2013

विषयः– फीचर फिल्म "राजुला" को मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 आमोद और पणकर अधिनियम–1979 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) की धारा–11(1) के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा यह आदेश देते हैं, कि फिल्म "राजुला" के इस आदेश की तिथि से दो माह तक के प्रदर्शन निम्नलिखित शर्तो के अधीन शत–प्रतिशत मनोरंजन कर से मुक्त होंगेः–

1. उपर्युक्त फिल्म के एक समय में अधिकतम तीन प्रिंट पूरे प्रदेश में चलाये जायेंगे तथा एक जनपद में एक समय में केवल एक ही प्रिंट प्रदर्शित किया जायेगा।
2. सिनेमा स्वामी द्वारा विभिन्न श्रेणियों में प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क की दरों में कोई वृद्धि नही की जायेगी, और न ही उसमें आसन क्षमता में परिवर्तन किया जायेगा।
3. इस फिल्म के साथ कोई अन्य फिल्म नही दिखायी जायेगी, सिवाय एप्रूव्ड (Approved) फिल्म के, जैसे कि यू0पी0 सिनेमाटाग्राफ रूल्स, 1951 के परिशिष्ट–1 के सिनेमा लाईसेन्स प्रतिबन्ध संख्या (2) में उल्लिखित है, लेकिन नये आने वाले फिल्मों के ट्रेलर तथा विज्ञापन आर्टस दिखाये जाने की अनुमति होगी।

2– विषयगत सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि ऐसे सिनेमा का स्वामी जिसमें फिल्म का कर से मुक्त प्रदर्शन किया जाय, उ0प्र0 आमोद और पणकर नियमावली–1981 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार विहित रूप से प्रत्येक प्रदर्शन के लिये निर्धारित समय में नियमित रूप से तैयार करेगा, और इस सम्बन्ध में उपर्युक्त नियमावली के समस्त सम्बन्धित नियम उसी प्रकार से लागू होंगे, जिस प्रकार समान्य फिल्मों के प्रदर्शनों में लागू होते है। इसके अतिरिक्त कर मुक्त फिल्म के लिये जारी किये जाने वाले टिकट पर यथा स्थिति शब्द पूर्ण कर मुक्त मुद्रित होंगे, अथवा रबर की मुहर से अंकित किये जायेंगे, तथा टिकटों के सम्बन्ध में उपर्युक्त नियमावली के समस्त सम्बन्धित नियम लागू होंगे।

3– प्रश्नगत प्रकरण में उपर्युक्त शर्तो तथा मनोरंजन कर से छूट के सम्बन्ध में प्रभावी नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कर मुक्ति की यह सुविधा समाप्त कर दी जायेगी, और उल्लंघन के लिये सम्बन्धित सिनेमागृहों के करमुक्त प्रदर्शनों पर नियमानुसार मनोरंजन कर लगाया तथा वसूल किया जायेगा।

4– निर्माता द्वारा फिल्म प्रदर्शन की सम्पूर्ण सूचना आयुक्त कर (मनोरंजन कर) उत्तराखण्ड देहरादून को अग्रिम रूप से प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

5– प्रश्नगत फिल्म को मनोरंजन कर से छूट दिये जाने के फलस्वरूप शासन को होने वाली राजस्व हानि की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी, आयुक्त कर (मनोरंजन कर) उत्तराखण्ड देहरादून को यथासमय देना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही इस शासनादेश की प्राप्ति भी स्वीकार की जायेगी।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

संख्या (1)/XXVII(9)/2013/मनो0कर–18/2013 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः

1. आयुक्त, कर (मनोरंजन कर) उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
संयुक्त सचिव।